रजी सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
LIBRARY
Date.................
★ NEW DELHI ★

सं. 48] नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 1999/ज्येष्ठ 10, 1921
No. 48] NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 1999/JYAISTHA 10, 1921

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 31 मई, 1999

सं. 8/1(1)/99.—भारत सरकार के राजपत्र संख्या 1264 के खण्ड-4, भाग-III में दिनांक 26-04-99 को प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 1999 के निम्नलिखित विनियमों को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :—

विनियम संख्या	अध्याय
7	1. आयोग की कार्यवाहियाँ, यदि आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाता है तो अंग्रेजी या हिन्दी में संचालित की जाएँगी ।
13(3)	1 सचिव को उपर्युक्त उपबन्धों की व्यापकता पर विशिष्टतया और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

13(3)(b)	वह केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य कार्यालयों, कम्पनियों, फर्मों अथवा किसी अन्य पक्षकार से आयोग द्वारा यथा- निदेशित ऐसी जानकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के कुशल निर्वहन के प्रयोजन के लिए उपयोगी समझा जाता है, एकत्र करने का अधिकारी होगा तथा जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।
18(1)	आयोग किसी भी संघ /फोरम अथवा अन्य निगमित निकायों या उपभोक्ताओं के किसी भी समूह को आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुमति दे सकेगा ।
18(2)	आयोग, कार्यवाही को समय पर पूरा करने की दृष्टि से ऊपर निर्दिष्ट संघ/फोरम को इकटठा होने के लिए निदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा जिससे कि वे सामूहिक रूप से शपथ पत्र दे सकें ।
18(3)	आयोग, जब कभी भी यह उचित समझे संघ, समूहों, फोरम अथवा निगमित निकायों को, आयोग के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता संघ के रूप में मान्यता के लिए प्रक्रिया अधिसूचित कर सकेगा ।

21. 2 गणापूर्ति:

आयोग के समक्ष कार्यवाही के लिए गणापूर्ति की संख्या तीन होगी ।

22 2 कोई सदस्य, पदेन सदस्य सहित किसी निर्णय पर अपने मत का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि ऐसे मामले में वह आयोग की सारवान सुनवाई के दौरान उपस्थित न रहा हो ।

54. (4) 2 आयोग पक्षकार को मामले के तर्कों या निवेदनों का लिखित नोट फाईल करने का निर्देश दे सकता है ।

80 5 खण्ड 79 (1) में यथाविनिर्दिष्ट कोई उत्पादक कम्पनी जो उत्पादक कम्पनी और विद्युत क्रय करने वाले पक्षकार के बीच विद्युत आपूर्ति के लिए कोई करार किए जाने का प्रस्ताव करती है, तो वह ऐसी संविदाएं करने से पूर्व टैरिफ के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगी ।

81 5 आयोग, समय समय पर अधिनियम की धारा 13 (छ) की शर्तों के अनुसार विद्युत टैरिफ संबंधित मामलों में मार्ग दर्शक सिद्धान्त तैयार करेगा, जिन्हें अधिसूचित किया जायेगा ।

84 5 आयोग, बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए उत्पान और पारेषण यूटीलिटीज के लिए समुचित प्रोत्साहन स्कीमें तैयार कर सकता है, जिन्हें समय समय पर अधिसूचित किया जा सकेगा ।

85 5 आयोग, यदि समुचित समझे तो टाइम ऑफ डे मीटरिंग (टी ओ डी) और बिलों के समय पर भुगतान के लिए स्वत: प्रोत्साहन वाली संदाय शर्तों जैसे कारकों से जुडे विशेष टैरिफ का अनुमोदन कर सकता हैं ।

91. 5 आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ से भिन्न टैरिफ वसूल करते हुए पाई जाने वाली किसी भी उपयोगिता के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया है और वह अन्य किसी अधिनियम के अधीन दायी अन्य किसी कार्यवाही या शास्ति के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 45 के अधीन शास्तियों का दायी होगा । किसी वर्ष में किसी उपयोगिता द्वारा टैरिफ के किसी अतिरिक्त प्रभार से संबंध में आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

95.	6	आयोग किसी यूटीलिटी को तैयार करने की अपेक्षा कर सकेगा और आयोग योजना, विकास, संबंधित/अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली तथा एकीकृत प्रचालन से संबंधित कोड का अनुमोदन करेगा तथा पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा जिसे भारतीय विद्युत ग्रिड कोड [आई.ई.जी.सी.] के रूप में अधिसूचित किया जाएगा ।

संजीव एस. अहलुवालिया, सचिव

[सं. विज्ञापन/3/4/150/99(असाधारण)]